

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 3290

112-1

दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी, 03

12024

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर।

जायरी सं0 109

फाईल सं0 1. जी0 वन

दिनांक 19/01/2024

विषय:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No. FP/UK/Road/146204/2021)

संदर्भ:-

आपकी पत्र सं0 1968/1 सी (वन) दिनांक 27.12.2023

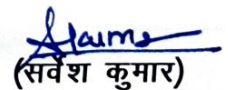
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विशयांकित प्रकरण में उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1772 पौधों का रोपण कार्य एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि / Ca rate of 1.72 है0 area में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1459/3-5-2 पी0ओ0 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दर रू0 4,48,791.00 के अनुसार $1.72ha \times 448791.00 = 771920.52$ या रू0 7,71,821.00 मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 हेतु 0.861 है0 के लिए दर प्रति है0 $10,05210 =$ रू0 865485.81 या रू0 8,65,486.00 जमा की जानी है।
- 3- शर्त सं0 3(ख) के अनुसार राज्य सरकार पौधरोपण क्षेत्र के ब्यवतकपदंजी एवं डिजिटल मैप मानचित्र भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाना है। अतः आप 1.72 है0 भूमि सिविल भूमि का चयन करते हुए क्षेत्र की उपयुक्तता के सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी से स्थल का स्थलीय निरीक्षण करे तदोपरान्त ही स्थल उपयुक्त होने पर स्थल के कोडिनेट एवं डिजिटल मानचित्र सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के साथ अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि रू0 1637307.00 (रू0 सोलह लाख सैंतीस हजार तीन सौ सात) उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा करने के प चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या को ऑनलाईन भी करने कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।